

फा.सं.15(6)2017/एफएलआरएस/(आरसीडी)एफएसएसएआई  
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण)  
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)  
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 27 मार्च, 2020

**विषय: खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2020 को प्रचालनात्मक बनाए जाने के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश**

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार के अनुज्ञापन और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2018 का निरूपण किया गया है और 6 नवम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में खाद्य प्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था।

2. इस मसौदा विनियम को अधिसूचित करने की कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले कि इन्हें अधिसूचित किया जाए और लागू किया जाए, विनियम को अंतिम रूप देने के कार्य में और अधिक समय लगने की संभावना है। इसी बीच, जन स्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए, और खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य कारोबार के प्रचालन की उचित पद्धतियों के सुनिश्चय के लिए इसके साथ संलग्न विनियम के प्रावधानों को इसी समय से प्रचालनात्मक बनाने का निर्णय किया गया है।

3. खाद्य कारोबारी इस संशोधित विनियम का अनुपालन करेंगे और भारत के राजपत्र में अंतिम विनियम के अधिसूचित होने के पश्चात ही इस विनियम, उप विनियम 2.1.9 में किए गए संशोधन को छोड़कर जो इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे, के प्रवर्तन का कार्य प्रारंभ होगा।

4. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(2)(घ) और 16(5) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डा. शोभित जैन)

कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)

ई-मेल : ed-office@fssai.gov.in

1. सभी खाद्य कारोबारी एवं हितधारी
2. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
3. निदेशक, सभी क्षेत्रीय कार्यालय, एफएसएसएआई
4. सीआईटीओ, वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए  
प्रतिलिपि सूचना के लिए –

1. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के निजी सचिव
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के निजी सचिव
3. सभी प्रभाग प्रमुख, एफ.एस.एस.ए.आई.

